संख्या-221/2016/आर-5790/26-3-2016-4(154)/2005टी.सी.।

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 16-12-2016

विषयः- वर्ष 2016-17 हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 के आयोजनागत पक्ष में संचालित एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय,सोनहा खीरी के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-176/2016/आर-3939/26-3-2016-4(154)/2005टी.सी.।, दिनांक-28.09.2016 के क्रम में निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक-219/10/ज.जा.वि.2016-17, दिनांक-02.12.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना **'केन्द्रपुरोनिधानित एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा-लखीमपुरखीरी के संचालन'** में प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि रूपया-250.00 लाख के सापेक्ष उक्त शिक्षण संस्थान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि रूपया-150.00 लाख में से द्वितीय किश्त के रूप में रूपया-132.50 लाख (रूपया एक करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार मात्र) धनराशि को संलग्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि 'उ0प्र0 अनुसूचित जनजाति शैक्षिक एवं विकास समिति' के नाम लखनऊ के राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले खातें में जमा की जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- व्यय की गयी धनराशि का लाभ नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को ही दिया जायेगा।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5)- गत वर्ष में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक प्रगति की सूचना के साथ उपभोग प्रमाणपत्र यथासमय शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियो के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-221/2016/आर-5790/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-221 /2016/आर-5790/26-3-2016-4(154)/2005टी.सी.I, दिनांक-16 -12-2016 का संलग्नक

एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा-लखीमपुरखीरी के संचालन हेतु वर्ष 2016-17 की विभिन्न मदों में वित्तीय स्वीकृति का विवरण

(रूपया लाख में)

क. से	विवरण	वर्ष (2016–17) हेतु कुल आवश्यक धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	वेतन (संस्था की मांग के अनुसार)	60.03	7.00	53.03
2	कार्यालय व्यय तथा अन्य व्यय (संस्था की मांग के अनुसार)	5.50	0.85	4.65
3	420 छात्रों हेतु भोजन व्यवस्था पर व्यय (रू0 1200+180 =1380/– प्रति छात्र प्रति माह की दर से 9 माह हेतु)	52.16	15.00	37.16
4	420 छात्रों हेतु टेस्ट बुक 400/– प्रति छात्र प्रति वर्ष	1.68	1.68	-
5	420 छात्रों हेतु यूनीफार्म (सूती एवं गर्म) रू0 2500/प्रति छात्र प्रति वर्ष	10.50	-	10.50
6	420 छात्रों हेतु दैनिक प्रयोगार्थ सामग्री टाइलेट आइटम रू0 1000/– प्रति छात्र प्रति वर्ष	4.20	1.00	3.20
7	अन्य विविध व्यय 1–420 छात्रों हेतु चिकित्सा व्यय रू0–30/– प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से 09 माह हेतु रू0–1.134 2–420 छात्रों हेतु स्टेशनरी व्यय रू0–85/–प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से 9 माह हेतु रू0–3.213 3–120 छात्रों हेतु (कक्षा 6 व 9) स्कूल बैग रू0–300/–प्रति छात्र प्रति वर्ष रू0–0.36 4–420 छात्रों हेतु यात्रा रू0–20/–प्रति छात्र प्रति माह की दर से 9 माह हेतु रू0–0.756 5–सी.बी.एस.सी.फीस निर्धारित दर पर रू0–1.10 (संस्था की मांग के अनुसार) 6–अंश कालीन चिकित्सक रू0–5000/–प्रति माह रू0–0.45 (नौ माह हेतु) 7–छात्रों की हाइजनिक व्यवस्था करने हेतु रू0–0.10 (संस्था के मांग के अनुसार)	6.66	1.32	5.34
8	प्रयोगशाला हेतु उपकरण (कम्प्यूटर) संस्था की मांग के अनुसार	3.50	-	3.50
9	420 छात्रों हेतु विस्तर की व्यवस्था रू0 600/–प्रति छात्र प्रति वर्ष	2.52	-	2.52
10	बर्तनों की व्यवस्था (संस्था की मांग के अनुसार)	0.60	-	0.60
11	किचन में गैस प्लांट की व्यवस्था (संस्था की मांग के अनुसार)	0.47	-	0.47
12	पुस्तकालय की व्यवस्था (संस्था की मांग के अनुसार)	1.50	-	1.50
13	जनरेटर में डीजल आदि की व्यवस्था (संस्था की मांगानुसार)	3.28	-	3.28
14	बिजली उपकरण एवं बिजली बिलों का भुगतान (संस्था की मांग के अनुसार)	6.75	-	6.75
	योग :–	159.35	26.85	132.50

(रूपया एक करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार मात्र)

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।